Act No. 42 of 201

2013 का विधेयक संख्यांक 32

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का अन्तःस्थापन।
4. धारा 10 का संशोधन।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

2000 का 11

धारा 3 का संशोधन।

2. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में "उनतालीस", "छत्तीस", "तैंतीस" और "बत्तीस" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पैंसठ", "पचास", "अड़तालीस" और "पैंतालीस" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का अन्तःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

> "**4.** सत्कार भत्ता.––प्रत्येक मन्त्री तीस हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।"।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में "दस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द रखा जाएगा।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है।

शिमला–171004.
दिनांक : 15–9–2013

अध्यक्ष।
अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूं

शिमला–171002.
दिनांक १९–९–2013

राज्यपाल।
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 32 OF 2013

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Insertion of section 4.
4. Amendment of section 10.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follow:—

Short title.

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2013.

Amendment of section 3.

11 of 2000

2. In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clauses (a), (b), (c) and (d), for the words "thirty nine", "thirty six", "thirty three" and "thirty two", the words "sixty five", "fifty", "forty eight" and "forty five" shall respectively be substituted.

Insertion of section 4.

3. After section 3 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"**4. Sumptuary Allowance.**—Each Minister shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of rupees thirty thousand per mensem.".

Amendment of section 10.

4. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted.

मैं, "मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 32)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 32)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।